न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर राजस्व वाद संख्या 480 / 2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.श्री ताराराम पुत्र श्री धन्नाराम माली		राजस्थान सरकार जरिये
2.बाबुलाल पुत्र श्री धन्नाराम माली		भूमिधारक तहसीलदार
3.भूराराम पुत्र श्री धन्नाराम माली		पचपदरा
4.श्रीमती बगसुदेवी पत्नि धन्नाराम माली		
5.तगाराम पुत्र श्री पूनमाराम माली		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री भंवरलाल विश्नोई प्रार्थी वकील

2. राज पैरोकार

आदेश

दिनांक : 30.10.2017

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बिठूजा के खसरा नंबर 316 रकबा 116 बीधा 12 विस्वा गैर मुमकिन मे प्रार्थीगण के पिता धन्नाराम के हक में एलोट की गई,जिसके खसरा नंबर 931 / 316 है जो हमारे खेत खसरा नंबर 163 के दक्षिण सेढ़ा पर है उस सेढ़ा के पास ही हमारा एलोट के अनुसार कब्जा काश्त है । खसरा नंबर 931 / 316 की नक्शा मे तरमीम भी खसरा नंबर 163 के सेढ़ा के पास ही रास्ता की भूमि चौड़ाई 30 फीट को छोड़कर करदी मगर राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों ने सार्वजनिक रास्ता व पूर्व मे परगना अधिकारी जी के आदेश का ध्यान नहीं रखते हुए उक्त तरमीम रास्ता की 30 फीट चौड़ाई भूमि पर कर दी गयी जिससे रास्ता की चौड़ाई 30 फीट से कम हो गया है । जबकि मौके पर रास्ता 30 फीट चौड़ा है व भूमि पर कब्जा भी तरमीम सुदा भूमि का कुछ हिस्सा रास्ता की भूमि को छोड़कर हमारे खातेदारी के खेत के सेढ़ा के पास लम्बाई म खसरा नंबर 931 / 316 की भूमि पर है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर लेख है कि खसरा नंबर 316 में 30 फुट चौडाई का रास्ता छोड़कर खसरा नंबर 931 / 316 की तरमीम दुरस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी के पैरोकार ने दिनांक 29.10.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा बिठूजा के खसरा नंबर 931/316 रकबा 1.05 बीघा की तरमीम पूर्व में लट्ठे मे की गई है जो मौके के अनुसार नहीं है,लिहाजा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित तरमीम मौके अनुसार होने से रेकर्ड में तरमीम दुरस्त करना उचित है ।

हमनें प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज व राज पैरोकार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम का नक्शे का अवलोकन कर मनन किया गया तथा प्रार्थी वकील को सुना । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा बिठूजा के खसरा नंबर 931/316 की पूर्व मे की गयी तरमीम मौके व कब्जे के अनुसार नहीं होने से रास्ता की भूमि की चौड़ाई कम हो जाती है,पूर्व तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा प्रस्तावित नक्शे के अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है । प्रस्तावित नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।

पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा